Juvenile delinquency

1564. SHRI DHARMAVIR VASISHT: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it was a fact that the latest figures of juvenile delinquency leading to crime in 1974 had doubled in girls in comparison with the boys of the same age group; and

(b) if so, the steps taken to arrest this trend?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Yes, Sir. Juvenile delinquency in girls has doubled as compared with that in boys in 1974, as compared to 1964. 63,468 Juvenile boys and 2,690 Juvenile girls were arrested in 1964; their figures for 1974 are 1,32,125 and 8,514 respectively. The trend of increase among girls was 216.5 per cent in 1974 over 1964 as against an increase of 108.2 per cent for the boys during the same period. However, the percentage of juvenile girls arrested to total number of arrested juveniles (boys & girls) has gone up from 4.1 in 1964 to only 6.1 in 1974.

(b) The prevention and control of juvenile delinquency is primarily the responsibility of the concerned State Governments and Union Territories Administrations. However, the Government of India in the Department of Social Welfare render technical advice and assistance to the State Governments and Union Territories to develop programmes in this sphere in an effective manner.

Programmes relating to the control and prevention of juvenile delinquency among girls as well as boys have been accorded a high priority in the social defence schemes. The services of this field manly centre around the implementation of the Children Acts in various States and Union Territories. The Children Acts approach provides for the care, protection, treatment, reformation and rehabilitation of juveniles coming in conflict with law.

पांचवीं योजना और छठी योजना में पिछड़े इलाकों के लिए नियतन

1565. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन पिछड़े इलाकों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार पांचवीं योजना के आरम्भ से विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है ; और

(ख) पांचवीं योजना के दौरान प्रत्येक पिछड़े इलाके को कितनी-कितनी धनराशी मिली और छठी योजना में उनके क्षेत्रों के लिए कितनी सहायता का प्रावधान रखा गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या LT–2492/78] ।

(ख) 1974–77 के लिए व्यय के आंकड़े और विभिन्न कार्यक्रमों पर 1977–79 के लिए आवंटन संलग्न विवरण में दिये गये हैं । 1979–83 के लिए आवंटनों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोग

1566. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के आधार पर देश के 50 प्रतिशत और कुछ

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इससे भी अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1978 को प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या क्या थी और वर्ष 1977-78 के दौरान उन के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ,

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये योजना बनाई है जहां इन लोगों की संख्या 59 प्रतिशत से अधिक है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इन राज्यों के लिए अन्य राज्यों की तुलना में ऋण की अपेक्षा अनुदान की मात्रा बढ़ाने से सम्बन्धित मांग को स्वीकार करने में असमर्थ है; यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात का गरीबी की व्याख्या के लिए प्रयुक्त की गई धारणाओं के आधार पर विद्वानों द्वारा अलग अलग अनुमान लगाया गया है । 1978—83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बताई गई धारणाओं के अनुसार, जिस में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी उपभोग और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी उपभोग के मानक का उपयोग किया गया है, योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि 1977-78 में भारत की जनसंख्या का लगभग 46 प्रतिशत भाग गरीबी के स्तर से नीचे था ।

(ख) योजना आयोग ने इसी आधार पर गरीबी के राज्यवार अनुमानों को तैयार करने का काम शुरू किया है ।

(ग) राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता का जो आवंटन किया जाता है वह गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात की दृष्टि से नापे गए गरीबी के स्तर से सीधे संबंधित नहीं होता है । तथापि, चौथी योजना की अवधि के आरंभ से, केन्द्रीय सहायता गाडगिल फारमूले के आधार पर दी जाती रही है, जिस में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है । पहाड़ी और जनजातिय क्षेत्रों को, जहां गरीबी की समस्या विशेष रूप से बहुत अधिक होती है, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है ।

(घ) केन्द्रीय सहायता के आवंटन के सिद्धान्तों की समीक्षा एक समिति द्वारा की जानी है जिसकी स्थापना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने दि० 18 और 19 मार्च, 1978 को हुई अपनी पिछली बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत किया था । इसके अलावा, राज्यों के योजनेतर पूंजीगत अंतरों और उन को दिए जाने वाले केन्द्रीय ऋण के विशिष्ट संदर्भ में उन के ऋण की स्थिति के प्रश्न को 7वें वित्त आयोग को विचारार्थ सौंपा गया है; वह आयोग हरेक राज्य की स्थिति की अलग-अलग समीक्षा करेगा और राज्यों के योजनेतर पूंजीगत अंतरों को ठीक करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देगा ।

Per capita income of Bihar

1567. **SHRI ISHWAR CHAUDHRY:** Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bihar State is the most backward State in the country;